

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर**

"वित्त भवन" जनपथ जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल [jdj-ta-ri@nic.in](mailto:jdj-ta-ri@nic.in))

क्रमांक :- प.4 (ई)(1)(6) एसीपी/अलेसे-III/2100

दिनांक :- 31-07-18

आदेश संख्या 167/2018-19

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के केवल L-13 में स्वीकृत की जाती है।

| क्र.सं. | नाम(सर्वश्री)/लिंग नं.      | मेरिट/बैच नं. | कनिष्ठ लेखाकार/समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि | तृतीय एसीपी देय तिथि | विशेष विवरण |
|---------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| (1)     | (2)                         | (3)           | (4)                                                          | (5)                  | (6)         |
| 1.      | शहादत अली(5682)             | 604/88        | 10.12.1990                                                   | 10.12.2017           |             |
| 2       | लक्ष्मी नारायण शर्मा (4786) | 497/88        | 16.04.1990                                                   | 16.04.2017           |             |

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14 एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
  2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
  3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
  4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
  5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
- इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जाएगी।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक :- प.4 (ई)(1)(6) एसीपी/अलेसे-III/2100

दिनांक :- 31-07-18

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार.....
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट) हेतु।
5. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

( शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)